

लोक सुनवाई का वृत्त

मेसर्स मो० शमीम अहमद, जिला-नवादा द्वारा गया जिला के अंचल-शेरघाटी, गया मोरहर-15 बालू घाट, ग्राम-उचिरिमा, गया, मोरहर नदी का क्षेत्रफल-99.0 हेक्टेयर बालू खनन करने हेतु पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत दिनांक-28.09.2020 को अपराह्न 02.30 बजे प्रखण्ड कार्यालय, शेरघाटी, जिला-गया के सभागार में लोक सुनवाई आयोजित किया गया।

यह लोक सुनवाई पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार द्वारा निर्गत टी०ओ०आर०. (पर्यावरण विचारों) पत्र संख्या- SIA/1(a)/1122/2020, दिनांक-22.07.2020 के आलोक में श्री मनोज कुमार, अपर समाहर्ता (राजस्व), गया की अध्यक्षता में की गयी। बिहार विधान सभा चुनाव, 2020 के कार्यों में व्यस्तता के कारण विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक-1)

उक्त लोक सुनवाई की सूचना बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा हिन्दुस्तान, प्रभात खबर, हिन्दुस्तान टाइम्स एवं टाइम्स ऑफ इंडिया के माध्यम से दिनांक- 23.08.2020 द्वारा प्रकाशित की गयी है (प्रतिलिपि संलग्न)। लोक सुनवाई के दौरान श्री ए. के. गुप्ता, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, गया द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों एवं सभी सम्बन्धित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई की पृष्ठ-भूमि पर प्रकाश डाला गया।

इस परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार ई० नीतिश कुमार द्वारा बताया गया कि खनन परियोजना अर्ध यांत्रिक (semi mechanized) आधारित है अतः खनिज निकासी व ढुलाई के लिए मशीनों का उपयोग किया जाना अनुमोदित है। किसी प्रकार की विस्फोटक व ड्रिलिंग की आवश्यकता नहीं है। परियोजना का कुल लागत का 2 प्रतिशत कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व मद में रखा गया है जो बिहार सरकार द्वारा अनुमान्य है। परियोजना में कुल 38 कामगारों की आवश्यकता होगी जिनकी भर्ती के लिए स्थानीय निवासियों को वरीयता दी जायेगी। खनन कार्य रात्रि में पूर्ण रूप से बंद रहेगा। खनन कार्य पूर्ण रूप से अनुमोदित खनन योजना के अनुसार किया जायेगा। ध्वनि प्रदूषण के मानकों को अनुरूप बनाये रखने के लिए ग्रामीण इलाकों तथा खनन क्षेत्र के मध्य सघन छत्र वाले पौधों का रोपण किया जायेगा। रात्रि में हॉर्न का प्रयोग न्यूनतम स्तर पर किया जायेगा।

खनन कार्य एवं खनिज परिवहन में धूल-कणों का उत्सर्जन होता है जिसके नियंत्रण के लिए तीन बार जल का छिड़काव किया जायेगा तथा खनिज का परिवहन तिरपाल से ढक कर ही वाहनों का संचालन किया जायेगा। खनन क्षेत्र में उन्हीं वाहनों को प्रवेश मिलेगा जो पूरी तरह प्रदूषण मुक्त होंगे अर्थात् पी.यू. सी. प्रमाणित होंगे। सड़क मार्गों की मरम्मत नियमित रूप की जायेगी तथा कोई भी अस्थायी मार्ग बनाने के लिए ग्रामीणों की सहमति से ही होगा। सड़क मार्गों पर वाहनों गति-सीमा पूर्व निर्धारित रहेगी जिसका उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों व वाहन का रिकॉर्ड रखा जायेगा व ऐसे वाहनों का खनन क्षेत्र में प्रवेश वर्जित रहेगा।

L ✓

अध्यक्ष महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि जिला गया में पर्यावरणीय स्वीकृति मिलने के बाद बालू खनन का कार्य प्रारंभ होगा। प्रत्येक नियमावली का अनुपालन किया जायेगा तथा अनुपालन न करने पर जुर्माना किया जायेगा। धूल-कण कम करने के लिए इसकी व्यवस्था सुचारु रूप से कराया जायेगा। बालू की ढुलाई में लगे वाहनों को तिरपाल से ढककर ही आवागमन किया जायेगा। खनन की गहराई 2-3 मीटर तक ही रखा जायेगा। सभी मानकों का पूर्ण रूप से पालन किया जायेगा। स्थानीय लोगों को कोई परेशानी न हो इसका भी विशेष रूप से ध्यान रखा जायेगा। स्थानीय लोग बेहतर जानते हैं, वे अपनी बात रखें। इस कार्य में स्थानीय जनता का सहयोग/सुझाव/मंतव्य आवश्यक है।

परियोजना प्रस्तुतिकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिए गए सुझाव/मंतव्य इस प्रकार हैं:-

1. श्री संजीत कुमार, पिता-श्री रामवृक्ष शर्मा, ग्राम-उचिरिमा, जिला-गया द्वारा सुझाव दिया गया कि रोजगार में स्थानीय लोगों को ही वरीयता दी जाय। हमें खनन से कोई परेशानी नहीं है। पर्यावरण के संतुलन के लिए नियमों का कड़ाई से पालन कराना चाहिए।
2. श्री अनिल कुमार, पिता-श्री रामाधार सिंह, ग्राम-उचिरिमा, जिला-गया द्वारा सुझाव दिया गया कि बालू ढुलाई वाले सड़कों पर पानी का छिड़काव लगातार होना चाहिए।
3. श्री सुदर्शन शर्मा, पिता-श्री सरयुग शर्मा, ग्राम-उचिरिमा, जिला-गया द्वारा बताया गया कि हमें खनन से कोई दिक्कत नहीं है। खनन से जो पर्यावरण पर प्रभाव पड़ेगा, उसे न्यूनतम रखने के लिए पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताये गये सभी शर्तों का दृढतापूर्वक पालन कराया जाय।
4. श्री सत्यम कुमार, पिता-श्री दयानंद शर्मा, ग्राम-उचिरिमा, जिला-गया द्वारा पूछा गया कि बालू ढुलाई के लिए वाहनों का आवागमन किस सड़क से किया जायेगा। साथ-ही इनके द्वारा बताया गया कि वृक्षों की संख्या और बढ़ाया जाय।

उत्तर- पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि पट्टेधारक द्वारा वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की जायेगी जिससे आम-जनों को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। साथ-ही आश्वासन दिया गया कि जरूरत के अनुसार ग्राम वासियों की सहमति से वृक्षारोपण की संख्या बढ़ाया जायेगा।

क्षेत्रीय पदाधिकारी, बि०रा०प्र०नि० पर्वद द्वारा बताया गया कि बालू ढुलाई का रास्ता (सड़क) गाँव या आबादी से होकर नहीं जाना चाहिए नहीं तो आम जनता को काफी दिक्कत होता है। साथ-ही-साथ वैकल्पिक सड़क का भी पहचान किया जाना चाहिए ताकि वाहनों की संख्या एवं परिवहन भार पर नियंत्रण रखा जा सके। अगर इस परियोजना क्षेत्र में पूर्व में भी खनन हुआ है तो Sand Reserve का ब्योरा Final EIA में उपलब्ध कराया जाए। उनके द्वारा पूछा गया कि पट्टेधारक द्वारा कितना प्रतिशत नदी का खनन क्षेत्र का हिस्सा में खनन नहीं किया जायेगा।

पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू की ढुलाई गाँव/आबादी के बीच नहीं की जायेगी। वैकल्पिक सड़क की व्यवस्था की जायेगी। आम जनता को दिक्कत नहीं हो इसलिए विद्यालय आने-जाने के समय या भीड़-भाड़ होने के दौरान बालू की ढुलाई नहीं की जायेगी। उन्होंने बताया कि नदी के खनन क्षेत्र के 40 (चालीस) प्रतिशत हिस्सा में खनन कार्य नहीं किया जायेगा।

L 58



अध्यक्ष द्वारा लोक सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता द्वारा सर्वसम्मति से बालू घाट के खनन परियोजना को शीघ्र प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात लोक सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।

115/288-2
क्षेत्रीय पदाधिकारी
बि०.रा०.प्र०.नि०.प०.प०.द, गया।

1/28/9/2020
अपर समाहर्ता (राजस्व)
गया












उपस्थिति सूची

मे० मो० शमीम अहमद, जिला-नवादा द्वारा गया जिलान्तर्गत अंचल-शेरघाटी के मोरहर नदी पर मोरहर घाट-15 से बालू खनन करने हेतु प्रखण्ड कार्यालय, शेरघाटी, जिला-गया में आयोजित लोक सुनवाई दिनांक 28.09.2020 (सोमवार) को 02:30 बजे अपराह्न में उपस्थित महानुभावों की सूची:

क्र०सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1	मनोज कुमार	शिवल खानहना, गया	
2	आशीष कुमार गुप्ता शेरीफ पदाधिकारी	बि० ए० ए० नि० पर्वत, पटना	माड- 28-9-20
3	Er. Nitish Kumar	पर्यावरणीय सलाहकार पटना।	Nitish Kumar
4	वीरव कुमार		Kumar
5	Birendra Sharma	B.S.P.C. Board, Patna	B Sharma
6	सुखरंजन कुमार	चैरवा	su
7	श्री. शमीम अहमद	नवादा	Shami
8	वसिष्ठ कुमार	गामा शेरघाटी	Vasisth Kumar
9	Manoj Kumar	नवादा	Manoj Kumar
10	Prakash Rajan	गामा शेरघाटी	Prakash Rajan
11	Nitesh Kumar	नवादा	Nitesh.
12	Nitendra Kumar	मिनावकला, शेरघाटी	Nitendra
13	Sanjeet Kumar	शेरघाटी	Sanjeet Kumar
14	पद्मनारायण वाणरेय	शेरघाटी	पद्मनारायण वाणरेय

V.C

15.	Abhay Kumar	उत्तरमा	Abhay Kumar
16.	Rajeev Kumar	उत्तरमा	Rajeev
17.	Abhishek Kumar	॥	Abhishek Kumar
18.	Achuta Nand Sharma		अच्युत नन्द शर्मा
19.	Mithunajay Kumar	॥	
20.	दशमनन्द शर्मा	उत्तरमा	दशमनन्द शर्मा
21.	सुदर्शन शर्मा	उत्तरमा	सुदर्शन शर्मा
22.	मृदुलेश कुमार	उत्तरमा	मृदुलेश कुमार
23.	Satyam Kumar	उत्तरमा	
24.	Nabin Kumar	उत्तरमा	
25.	संजीव कुमार	उत्तरमा	संजीव कुमार
26.	विजय कुमार	॥	विजय कुमार
27.	Kuldeep mandal	॥	Kuldeep mandal
28.	रघुनी मंडल	॥	रघुनी मंडल
29.	दिनेश्वर मंडल	॥	दिनेश्वर मंडल
30.	उपेन्द्र मंडल	॥	उपेन्द्र मंडल
31.	दरी ॥	॥	दरी ॥
32.	सिद्ध पांडे	उत्तरमा	Siddh
33.	पद्मकुमार शर्मा	उत्तरमा	
34.	वीकर पांडे	उत्तरमा	Vikar

35.	Isaideli Prasad	Mahua Dam	
36.	Bimool Kumar	Mahua Dam	
37.	लक्ष्मी प्रसाद	चिटाव	
38.	अंजनी कुमार्	उचिरवा (चिटाव)	
39.	संतोष कुमार	उचिरवा (चिटाव)	Santosh Kr.
40.	उवेश कुमार्	उचिरवा (चिटाव)	Pravesh Kr.
41.	आशीष कुमार्	उचिरवा (चिटाव)	Ashish Kr.
42.	राजेश कुमार्	उचिरवा (चिटाव)	Rajesh Kr.
43.	मुन्ना कुमार्	उचिरवा (चिटाव)	
44.	बालू राव	उचिरवा (चिटाव)	Balu Kumar
45.	संतोष राव	पलुडारा	Santosh Raav
46.	पुरुषोत्तम कुमार्	पलुडारा	Purushottam
47.	शेषेश कुमार्	चिटाव	
48.	विनोद सिंह	चिटाव	
49.	शीतल कुमार्	चिटाव	Sheetal Kr.
50.	संदीप शर्मा	चिटाव	Sandeep Sharma
51.	VICKY KO	उचिरवा	
52.		चिटाव	
53.	Chandan Kumar	उचिरवा चिटाव	
54.	विश्वनाथ कुमार्	उचिरवा चिटाव	